रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2000/ज्येष्ठ 24, 1922

No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2000/JYAISTHA 24, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2000

अन्तिम निष्कर्ष

विषय : मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्फेनोल ''ए'' पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा।

सं. 41/1/99-डी जी ए डी.— (1995 में यथा संशोधित) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा उसकी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए; निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दि. 31 अगस्त 1999 को उपरोक्त नियमों के नियम 22 में विहित प्रावधान के तहत दि. 31 अगस्त, 1999 की अधिसूचना सं0 41/1/99-डी जी ए डी द्वारा मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन, यू एस ए के द्वारा निर्यातित विस्फेनोल ए पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा शुरू की थी ।

2. उक्त न्यू शिपर समीक्षा यू एस ए मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले विस्फेनोल ए के आयात के मामले में शुरू की गई थी जहां प्राधिकारी ने दिनांक 19 मार्च 1997 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड I में प्रकाशित अपने अंतिम जांच परिणामों में इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि-

(क) यू एस ए मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्फेनोल ए का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति यू एस ए से विस्फेनोल ए के आयातों के कारण हुई है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने दि. 29 अप्रैल, 1997 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशित दि. 29 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 40/98-सीमा शुल्क के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

3. मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन, यू एस ए ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान और उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 22 के अनुसार उनके द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में समीक्षा के लिए अनुरोध किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त,1999 को भारत के राजपत्र,असाधारण भाग I खंड 1 में प्रकाशित दि. 31 अगस्त,1999 की अधिसूचना संख्या 41/1/99-डी जी ए डी के द्वारा समीक्षा आरंभ की थी और मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए द्वारा किए गए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची के राजपत्र के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले विस्फेनोल ए के सभी निर्यातों पर समीक्षा पूरी होने तक 10,000 प्रति मी.टन की दर से अनन्तिम शुल्क निर्धारण की सिफारिश की थी ।

4. इसके अलावा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन रोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 22 के उपनियम 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 सितम्बर,1999 की अधिसूचना सं0 109/99 सीमा शुल्क द्वारा यह निर्णय लिया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई उक्त समीक्षा के परिणाम आने तक मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए द्वारा निर्यात, जब इनका उक्त समीक्षा की शुरूआत की तिथि से समीक्षा पूर्ण होने की तिथि तक निर्यातित विस्फेनोल ए के भारत में आयात पर अनन्तिम शुल्क निर्धारण किया जाएगा और 10,000 मी.टन की दर से परिगणित शुल्क की राशि के लिए एक बैंक गारंटी देनी होंगी ।

5. यह भी निर्णय लिया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षाओं के पूर्ण होने के बाद पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के मामले में आयातक को उक्त समीक्षा की शुरूआत की तिथि से मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए से भारत को विस्फेनोल ए के किए गए सभी आयातों पर लागू शुल्क की राशि देनी होगी ।

6. जांच शुरू करने के नोटिस की प्रतियां आयातकों, घरेलू उत्पादकों,निर्यातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षों को इन जांचों पर उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी उनमें से किसी से भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई । मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए को भी उक्त विषय पर प्रश्नावली के बारे में जबाब देने को कहा गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 3 मार्च,2000 के अपने जबाब में उन्होंने यह बताया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है । उन्होंने यह भी बताया है कि वे घरेलू बिक्री और उत्पादन लागत के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह केवल निर्यात व्यापार में लगी कंपनी है और उनकी कोई घरेलू बिक्री नहीं हैं तथा विनिर्माताओं की उत्पादन लागत तक उनकी पहुंच भी नहीं है।

समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष

7. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन यू एस ए द्वारा जांच अवधि के दौरान भारत को विस्फेनोल ए का कोई निर्यात नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह याचिकाकर्ता के लिए अलग से पाटन मार्जिन की गणना कर सके । इसलिए पाटन मार्जिन जैसा कि दिनांक 19 मार्च 1997 के भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग । खंड । मे प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचित है और केन्द्र सरकार द्वारा दि. 29 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं0 40 सीमा शुल्क, द्वारा 10,000 रू0 प्रति मी.टन की दर से लगाया गया पाटन रोधी शुल्क उक्त निर्यातक पर जारी रहेगा । यह शुल्क 31 अगस्त 1999 से समीक्षावधि के दौरान मै. फर्स्ट इंटरकोंटिनेंटल कारपोरेशन, यू एस ए से भारत को हुए आयातों पर भी लागू होगा ।

8. इस आदेश के खिलाफ याचिका उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क,उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2000

FINAL FINDINGS

Subject:-New shipper review of anti-dumping duty imposed on Bisphenol A originating in or exported by M/s. First Intercontinental Corporation, USA.

No. 41/1/99-DGAD- Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, therefore, the Designated Authority initiated New Shipper Review of anti dumping duty imposed on Bisphenol-A exported by M/s. First Intercontinental Corporation, USA, prescribed under Rule 22 of the rules *supra*, *vide* notification No. 41/1/99-DGAD dated the 31st August, 1999.

2. The New Shipper Review was initiated in the matter of import of Bisphenol-A falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from USA where the Designated Authority *vide* its final findings, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I dated the 19th March 1997 had come to the conclusion that –

(a) Bisphenol A originating in, or exported from, USA had been exported to India below its normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury;

(c) The injury has been caused to the domestic industry by the imports of Bisphenol A from USA.

On the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty *vide* notification no.40/98-Customs dated the 29th April 1997 published in Part II, Section 3, sub-section (I) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 29th April, 1997.

3. M/s. First Intercontinental Corporation, USA had requested for review in terms of Rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports being made by them and the Designated Authority *vide* notification no. 41/1/99-DGAD dated the 31st August 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st August 1999 had initiated the review and recommended provisional assessment of all exports of Bisphenol-A, falling under Chapter 29 of the Gazette of Schedule to the Customs Tariff Act 1975 made by M/s. First Intercontinental Corporation, USA at the rate of Rs.10,000 per metric tonne till the completion of the review by it.

4. Further, in exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of Rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, after considering the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government *vide* notification No. 109/99-Customs dated 8th September, 1999, decided that pending the outcome of the said review by the Designated Authority, exports of Bisphenol-A by M/s. First Intercontinental Corporation, USA when imported into India from the date of initiation of the said review to the date of completion of the review shall be subject to provisional assessment and a bank guarantee for the amount of duty calculated at the rate of Rs.10,000 per metric tonne.

5. It was also decided that in case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said reviews by the Designated Authority, the importer shall be liable to pay the amount of duty imposed on all imports into India of Bisphenol-A from M/s. First Intercontinental Corporation, USA from the date of initiation of said review.

6. The copies of initiation notice were sent to the importers, domestic producers, exporters and other interested parties for their comments on these investigations. No comments were received from any of them. M/s. First Intercontinental Corporation, USA, were also asked to file their replies to the questionnaire on the subject. In their replies, dated the 3rd March 2000, filed to the Designated Authority, they have stated that they have not made any exports to India during the investigation period. They have further stated that they are not able to pro*vide* any information regarding the domestic sales and cost of production as they are solely an export trading company and do not have any domestic sales and also do not have access to the cost of production of their manufacturers.

Final Findings of the Review

7. The Authority concludes that since no export to India of Bisphenol A has been done during the period of investigation by M/s. First Intercontinental Corporation, USA, it is not possible for the Authority to determine separate margin of dumping for the petitioner. Therefore, the margin of dumping as notified in the final findings published in the Gazette of India Extraordinary, Part (I) Section (1) dated 19th March 1997 and the anti dumping duties imposed by the Central Government

vide Notification No.40-Customs dated 29th April 1997 of Rs.10,000 per MT will continue to be applicable to the said exporter. This duty will also be applicable on the imports into India made from M/s. First Intercontinental Corporation, USA, during the period of review from 31st August, 1999.

8. An appeal against the order shall lie to the Customs, Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act *supra*.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

1680 GI/2000-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.